अनुसूचि–3

(धारा 32 देखें)

ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध

संख्या	अधिनियम या संहिता का नाम	अपराध	धारा
1.	2	3.	4.
1.	भारतीय दण्ड संहिता	दंगा करना।	160
2.	भारतीय दण्ड संहिता	समनों की तामील या अन्य कार्यवाहियों से बचने के लिए फरार हो जाना।	172
3.	भारतीय दण्ड संहिता	विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए समनों की तामील और प्रचार करने में रूकावट पैदा करना।	173
4.	भारतीय दण्ड संहिता	शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए।	178
5.	भारतीय दण्ड संहिता	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इन्कार करना।	179
6.	भारतीय दण्ड संहिता	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना।	180
7.	भारतीय दण्ड संहिता	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान करना या उसके कार्य में विघ्न डालना।	228
8.	भारतीय दण्ड संहिता	अध्याय 13 में उल्लिखित वाटों और मापों से सम्बन्धित अपराध।	264 से 267
9.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी कार्य को उपेक्षापूर्वक करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो।	269
10.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी सार्वजनिक स्त्रोत अथवा जलाशय का जल कलुषित करना।	277

11.	भारतीय दण्ड संहिता	लोक मार्ग अथवा नौ–परिवहन पथ में संकट या बाधा डालना।	283
12.	भारतीय दण्ड संहिता	अग्नि अथवा किसी दहनशील पदार्थ से संसव्यवहार करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो।	285
13.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी विस्फोटक पदार्थ आदि से संव्यवहार करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो।	286
14.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी ऐसे भवन जिसे कोई व्यक्ति गिराने और जिसकी मुरम्मत कराने का अधिकार रखता है, से मानव जीवन को संभावित खतरे से बचाव करने में चूक करना।	288
15.	भारतीय दण्ड संहिता	जीव–जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	289
16.	भारतीय दण्ड संहिता	लोक न्यूसैन्स करना।	290
17.	भारतीय दण्ड संहिता	अश्लील कार्य और गाने।	294
18.	भारतीय दण्ड संहिता	स्वेच्छा से उपहति करना।	323
19.	भारतीय दण्ड संहिता	प्रकोपन पर स्वेच्छा से उपहति करना।	334
20.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी व्यक्ति को संदोष अवरूद्ध करना।	341
21.	भारतीय दण्ड संहिता	गंभीर प्रकोपन से भिन्न हमला या अपराधिक बल का प्रयोग।	352
22.	भारतीय दण्ड संहिता	चोरी, जहां चोरी हुई सम्पति का मूल्य 250 रूपये से अधिक न हो, परन्तु कोई भी ग्राम पंचायत किसी ऐसे परिवाद का संज्ञान नहीं करेगी यदि अभियुक्तः– (i) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय XII या XVII के अधीन पहले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जो दोनों में से किसी प्रकार के	379

		कारावास से दण्डनीय है जो तीन वर्ष या उससे अधिक का हो ; या (ii) उसे पहले किसी पंचायत द्वारा, चोरी के लिए या चोरी की गई सम्पति को प्राप्त करने या रखे रहने के लिए, जुर्मानें से दण्डित किया हो ; या (iii) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभ्यासिक अपराधी हों ; और (iv) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या 110 के अधीन संस्थित कार्यवाहियों में अच्छे आचरण के लिए आबद्ध किया गया हो ; (v) उसके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी निर्बन्धन अधिनियम, 1973 (1973 का 9) के अधीन आदेश या निर्बन्धन प्रवृत हों ; और (vi) जुए के लिए पहले सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो।	
23.	भारतीय दण्ड संहिता	बेईमानी से दुर्विनियोग यदि इसके अधीन सम्पति 250 रूपये से अधिक न हो।	403
24.	भारतीय दण्ड संहिता	अपराधिक न्याय भंग यदि इसके अधीन सम्पति 250 रूपये से अधिक न हो।	406
25.	भारतीय दण्ड संहिता	चोरी की हुई सम्पत्ति बेईमानी से प्राप्त करना या रखे रहना यदि इसके अधीन सम्पति 250 रूपये से अधिक न हो।	411
26.	भारतीय दण्ड संहिता	छल करना यदि इसके अधीन सम्पति 250 रूपये से अधिक न हो।	417
27.	भारतीय दण्ड संहिता	रिष्टि जबकि हुआ नुकसान या हानि 50 रूपये के मूल्य से अधिक न हो।	426

28.	भारतीय दण्ड संहिता	रिष्टि और एतद् द्वारा सम्पति को हुआ नुक्सान या हानि 50 रूपये या 50 रूपये से अधिक मूल्य का हो।	427
29.	भारतीय दण्ड संहिता	10 रूपये के मूल्य के पशु को विकलांग करना।	428
30.	भारतीय दण्ड संहिता	ऐसे किसी भी मूल्य के ढोर आदि या 50 रूपये के मूल्य के किसी पशु का बध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि ।	429
31.	भारतीय दण्ड संहिता	अपराधिक अतिचार।	447
32.	भारतीय दण्ड संहिता	शान्ति भंग करने के आशय से किसी का अपमान करना या उतेजित करना।	504
33.	भारतीय दण्ड संहिता	अपराधात्मक अभिवास आदि के लिए दण्ड।	506
34.	भारतीय दण्ड संहिता	किसी स्त्री की लज्जा को अपमानित करने हेतु कोई शब्द बोलना अथवा कोई अंग विक्षेप।	509
35.	भारतीय दण्ड संहिता	मत व्यक्ति का लोक स्थान में अवचार।	510
36.	टीका अधिनियम, 1880 (1880 का 13)	धारा 22 के खण्ड (क) (ख) और (घ) के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का दण्ड	धारा 22 के खण्ड (ग) के सिवाय।
37.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	पशुओं के अभिग्रहण का बलपूर्वक विरोध करना अथवा उन्हें छुड़ाना।	24
38.	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	सुअरों द्वारा भूमि या फसलों और सार्वजनिक सड़कों को नुक्सान पहुंचाया जाना।	26

39.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	बालकों को तम्बाकू बेचने के लिए शास्ति।	3
40.	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	सार्वजनिक स्थान में किशोर से तम्बाकू का अभिग्रहण करना।	4
41.	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या भार साधक होने के लिए शास्ति।	3
42.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआघर में पाए जाने के लिए शास्ति।	4
43.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	गिरफतार व्यक्तियों पर गलत नाम और देने के लिए शास्ति।	7
44.	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	इस अधिनिमय की धारा 22, 158 और 187 के अधीन अपराध।	

अनुसूचि–4

(धारा 46 देखें)

कुछ दावों के लिए परिसीमा।

संख्या	वाद विवरण	परिसीमा अवधि	समय जिसमें अवधि आरम्भ होगी
1.	2.	3.	4.
1.	किसी संविदा पर देय धन के लिए।	तीन वर्ष	जब वादी को धन देय हो जाए।
2.	जंगम सम्पति या उसके मूल्य की वसूली के लिए।	तीन वर्ष	जब वादी जंगम सम्पति लेने का हकदार हो जाए।
3.	किसी जंगम सम्पति को संदोषतः लेने या क्षति पहुंचाने के प्रतिकर के लिए।	तीन वर्ष	जब जंगम सम्पति संदोषतः ली गई थी या जब इसको क्षति पहुंचाई गई थी।
4.	पशु अतिचार द्वारा हुए नुक्सान के लिए।	एक वर्ष	जब पशु अतिचार द्वारा नुक्सान हुआ हो।

****